Arbitration वाद सं0–10/2020
श्री प्रमोद कुमार ठाकुर
बनाम
राज्य सरकार एवं अन्य
आदेश/अवार्ड

अनुसूची 14–फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
02.05.2023	प्रस्तुत Arbitration वाद श्री प्रमोद कुमार ठाकुर, पिता–स्व0 रामयतन ठाकुर, ग्राम–महिमा रसुलपुर,, थाना–पुपड़ी, जिला–सीतामढ़ी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–527 C अन्तर्गत अधिग्रहित जमीन (खाता सं0–340, खेसरा सं0–1984) के उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के विरूद्व दायर किया गया है। दिनांक–11.04.2023 को जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता से प्राप्त प्रतिवेदन वादी को हस्तगत कराया गया तत्पश्चात् सुनवाई प्रारंभ की गयी। वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अधिग्रहित जमीन अनुसूची–01 में वर्णित है। अधिग्रहित जमीन का मुआवजा 27,000/–रू0 प्रति डी0 की दर से दिया गया है, जो बाजार मूल्य से काफी कम है। अधिग्रहित जमीन उच्च पथ सं0–52 के सटे बगल में अवस्थित है, जो वादी द्वारा वर्ष 2012 में खरीदी गयी है। प्रश्नगत भूमि आवासीय किस्म की है, जिसका केवाला दस्तावेज के अनुसार खरीदगी के समय बाजार मूल्य 44,000/–रू0 प्रति डी0 से अधिक है। उनका (वादी) यह भी दावा है कि Indian Stamp Act--1899 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि का सर्किल रेट आवासीय के अनुसार 3,00000/–रू0 प्रति डी0 अवर निबंधक कार्यालय, पुपड़ी द्वारा निर्धारित है, जिस आधार पर मुआवजा निर्धारित करते हुए मुआवजे की अंतर राशि एवं उस पर 12% ब्याज का भुगतान किया जाए। सक्षम प्राधिकार–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा वादी के वाद पत्र के प्रत्युत्तर में अपने कार्यालय के	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	पत्रांक–296 दिनांक–20.03.2023 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, कि प्रश्नगत अधिग्रहित भूमि का 3D गजट प्रकाशन के अनुरूप भीठ–02 मानते हुए भूमि का मूल्यांकन किया गया है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि वादी के द्वारा 3A अधिसूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि दिनांक–18.02.2017 के 21 दिनों के भीतर भूमि के वर्गीकरण (किस्म पुनर्निर्धारण) से संबंधित कोई आपत्ति दावा समर्पित नहीं किया गया है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि Indian Stamp Act--1899 या निबंधन अधिनियम या उससे संबंधित कोई नियमावली/विभागीय परिपत्र, भू–अर्जन अधिनियम या उसकी नियमावली को खंडित नहीं कर सकता है। दिनांक–11.04.2023 को सुनवाई के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित अभिकथन समर्पित करते हुए उल्लेख किया है कि NHAI Act-1956 की धारा–3G (5) के अधीन वादी द्वारा समर्पित वाद पत्र स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि वादी द्वारा भूमि की प्रकृति बदलते हुए मुआवजा निर्धारण/भुगतान की मांग की जा रही है। वादी ने धारा–3A NHAI Act-56 के तहत अधिसूचना सं0–KA 98 (A) दिनांक–12.01.2017 के 21 दिनों के अंदर भी कोई दावा/आपत्ति नहीं किया जिसके कारण सक्षम प्राधिकार ने अधिसूचना में अंकित श्रेंणी के अनुसार मुआवजा का निर्धारण किया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता, NHAI के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं DLAO, सीतामढ़ी से प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि DLAO, सीतामढ़ी द्वारा प्रश्नगत भूमि का मुआवजा खतियान में वर्णित किस्म भीठ–02 के आधार पर दिया गया है, जबकि वादी के द्वारा आवासीय के आधार पर मांग किया जा रहा है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि Ministry of Road transport and highways, Government of India (MORTH) के पत्रांक–NH-11011/30/2015-LA दिनांक–28.12.2017 के अनुसार भूमि की प्रकृति 3A अधिसूचना के आधार पर निर्धारित की जाती	

WEB COPY NOT OFFICIAL

हैं, जिसका राजस्व अभिलेख खतियान होता है।

साथ ही इस संबंध में MORTH के पत्रांक– NH-11011/30/2015-LA दिनांक–28.12.2017 के कंडिका–10 (iii) में उल्लेखित प्रावधान हैः–

"Certain undesirable practices have come to notice of the Central Government. These include change in the nature of land or adoption of incorrect classification of land for determination of market value of land. it may be noted that the nature of land has to be taken as recorded in the revenue records on the day of publication of section-3A notification. for instance, if some landowner/interested person has raised a factory building or a commercial building upon the land under acquisition without obtaining the "Change in Land use" from the competent authority prescribed by the State Government, he/she cannot take the benefit of treatment of such land as industrial" or "commercial".

जिस आधार पर वादी को मुआवजा का भुगतान किया गया है। साथ ही 3 A अधिसूचना के प्रकाशन के 21 दिनों के अंदर वादी द्वारा भूमि के वर्गीकरण से संबंधित कोई दावा आपत्ति भी समर्पित नहीं किया गया है, ताकि उनके उक्त दावे पर अब विचार किया जा सके।

अतएव जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा भुगतान संबंधी पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत वाद अस्वीकृत किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रति संभी संबंधितों को दी जाए।

लेखापित एवं संशोधित

WEB COPY NOT OFFICIAL

	आर्बिट्रेटर–सह–आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।	आर्बिट्रेटर–सह–आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।	

WEB COPY NOT OFFICIAL